न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 24/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह जटसिख निवासी चक 1 वीं तहसील श्रीकरणपुर।		1.गुरदीप सिंह पुत्र जीत सिंह जटसिख निवासी चक 1 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 22.03.2021

उपस्थितः 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- दिनांकः 06.04.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 वीं की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 17, 34/3 की कुल 6.121 हेक्टैयर नहरी कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बरावर के मालिक है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों द्वारा अपने जीवनकाल में आपसी सहमति से घरू बंटवारा किया गया है। उसी मुताबिक पक्षकारान आज तक अपने-अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। घरू बंटवारा अनुसार वादी सतनाम सिंह का कब्जा काश्त चक 1 वीं द्वितीय के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11 के 0.192 हेक्टैयर, किला नम्बर 14 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 15 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 16 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 17 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 18 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 19 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 के 0.227 हेक्टैयर, किला नम्बर 21 के 0.202 हेक्टैयर, किला नम्बर 22 के 0.227 हेक्टैयर, किला नम्बर 23 के 0. 227 हेक्टैयर, किला नम्बर 24 के 0.227 हेक्टैयर, किला नम्बर 25 की 0.202 हेक्टैयर व मुरब्बा नम्बर 34/3 के 0.089 हेक्टैयर, कुल 3.061 हेक्टैयर नहरी भूमि पर है। प्रतिवादी संख्या 1 गुरदीप सिंह का कब्जा काश्त चक 1 वीं द्वितीय के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 2 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 3 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 4 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 5 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 6 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 7 के 0. 253 हेक्टैयर, किला नम्बर 8 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 9 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 10 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 11 के 0.036 हेक्टैयर, किला नम्बर 12 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 13 की 0.253 हेक्टैयर व मुरब्बा नम्बर 34/3 के 0.088 हेक्टैयर, कुल 3.060 हेक्टैयर नहरी भूमि पर है। उक्त वर्णित भूमि घरू बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी करीब 30 वर्षो से अपने-अपने हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है और इसी मुताबिक वादी व प्रतिवादी भूमि का किलेवाईज बंटवारा करवाना चाहते है। आज से 3 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जे के मुताबिक भूमि का किलेवाईज बंटवारा करने का निवेदन किया, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

फिजेकलाईज बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे:- कि चक 1 वी द्वितीय की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 17, 34/3 की कुल 6.121 हेक्टैयर नहरी कृषि भूमि में वादी के कब्जा काश्त मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11 के 0.192 हेक्टैयर, किला नम्बर 14 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 15 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 16 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 17 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 18 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 19 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 20 के 0.227 हेक्टैयर, किला नम्बर 21 के 0.202 हेक्टैयर, किला नम्बर 22 के 0.227 हेक्टैयर, किला नम्बर 23 के 0.227 हेक्टैयर, किला नम्बर 24 के 0.227 हेक्टैयर, किला नम्बर 25 की 0.202 हेक्टैयर व मुरब्बा नम्बर 34/3 के 0.089 हेक्टैयर, कुल 3.061 हेक्टैयर नहरी भूमि का अलग से खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। साक्ष्यवादी में वादी के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। दस्तोवजात प्रवर्श करवाए गए। साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने एकपक्षीय बहस वकील वादी की सुनी। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वादग्रस्त भूमि में से वादी के नाम 3.061 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है। शेष खाता एंव रहन बदस्तुर रहें।

-:आदेश:-

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 वीं द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 17, 34/3 की कुल 6.121 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादी सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह के नाम 3.061 हेक्टैयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सतनाम सिंह बनाम गुरदीप सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53** आरटीए मुकदमा नं. **24/2021**

निर्णय दिनांक :- 06.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा मे जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 17, 34/3 की कुल 6.121 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादी सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह के नाम 3.061 हेक्टैयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 06.04.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांक: 06.04.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/178

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 24/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह जटसिख निवासी चक 1 बी तहसील श्रीकरणपुर।		1. गुरदीप सिंह पुत्र जीत सिंह जटसिख निवासी चक 1 बी तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर।

दावा पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 22.03.2021

उपस्थित: 1.श्री सतीश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक: 15.05.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 बी की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 17, 34/3 की कुल 6.121 हेक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के मालिक है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों द्वारा अपने जीवनकाल में आपसी सहमति से घरू बंटवारा किया गया है। उसी मुताबिक पक्षकारान आज तक अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। घरू बंटवारा अनुसार वादी सतनाम सिंह का कब्जा काश्त चक 1 बी द्वितीय के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11 के 0.192 हेक्टेयर, किला नम्बर 14 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 15 के 0.228 हेक्टेयर, किला नम्बर 16 के 0.228 हेक्टेयर, किला नम्बर 17 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 18 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 19 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 20 के 0.227 हेक्टेयर, किला नम्बर 21 के 0.202 हेक्टेयर, किला नम्बर 22 के 0.227 हेक्टेयर, किला नम्बर 23 के 0.227 हेक्टेयर, किला नम्बर 24 के 0.227 हेक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.202 हेक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 34/3 के 0.089 हेक्टेयर, कुल 3.061 हेक्टेयर नहरी भूमि पर है। प्रतिवादी संख्या 1 गुरदीप सिंह का कब्जा काश्त चक 1 बी द्वितीय के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1 के 0.228 हेक्टेयर, किला नम्बर 2 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 3 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 4 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 5 के 0.228 हेक्टेयर, किला नम्बर 6 के 0.228 हेक्टेयर, किला नम्बर 7 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 8 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 9 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 10 के 0.228 हेक्टेयर, किला नम्बर 11 के 0.036 हेक्टेयर, किला नम्बर 12 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 13 की 0.253 हेक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 34/3 के 0.088 हेक्टेयर, कुल 3.060 हेक्टेयर नहरी भूमि पर है। उक्त वर्णित भूमि घरू बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी करीब 30 वर्षो से अपने अपने हिस्सा की भूमि की काश्त करते आ रहे है और इसी मुताबिक वादी व प्रतिवादी भूमि का किलेवाईज बंटवारा करवाना चाहते है। आज से 3 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जे के मुताबिक भूमि का किलेवाईज बंटवारा करने का निवेदन किया, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि का किलेवाईज बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर हक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे:- कि चक 1 बी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

द्वितीय की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 28 के मुरब्बा नम्बर 17, 34/3 की कुल 6.121 हेक्टेयर नहरी कृषि भूमि में वादी के कब्जा काश्त मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 11 के 0.192 हेक्टेयर, किला नम्बर 14 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 15 के 0.228 हेक्टेयर, किला नम्बर 16 के 0.228 हेक्टेयर, किला नम्बर 17 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 18 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 19 के 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 20 के 0.227 हेक्टेयर, किला नम्बर 21 के 0.202 हेक्टेयर, किला नम्बर 22 के 0.227 हेक्टेयर, किला नम्बर 23 के 0.227 हेक्टेयर, किला नम्बर 24 के 0.227 हेक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.202 हेक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 34/3 के 0.089 हेक्टेयर, कुल 3.061 हेक्टेयर नहरी भूमि का अलग से खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। साक्ष्यवादी में वादी के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। दस्तोवजात प्रदर्श करवाए गए। साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी 3.061 हेक्टेयर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 1 वीं द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2066 ता 79 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 17, 34/3 की कुल 6.121 हेक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादी सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह के नाम 3.061 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 वीं द्वितीय, पटवार हल्का 8

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सतनाम सिंह बनाम सुखदीप सिंह आदि

राज. का. अधिनियम धारा 53 आरटीए, प्रकरण संख्या 24/2021

श्री. भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2066 ता 79 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 17, 34/3 की कुल 6.121 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादी सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह के नाम 3.061 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह जटसिख निवासी चक 1 बी तहसील श्रीकरणपुर।	1 बी द्वितीय	17	11	0.109 हेक्टैयर	नहरी	
				12	0.122 हेक्टैयर	नहरी	
				13	0.122 हेक्टैयर	नहरी	
				14	0.122 हेक्टैयर	नहरी	
				15	0.110 हेक्टैयर	नहरी	
				16 ता 25	2.299 हेक्टैयर	नहरी	
			34/3		0.177 हेक्टैयर	गै.मु.खा	

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द (आर.ए.एस)}
सहायक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 15.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021, फोलोअप शिविर, ग्राम पचायत 9 एफ ए में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)